

**दयाल सिंह कॉलेज**  
**DYAL SINGH COLLEGE**  
**(दिल्ली विश्वविद्यालय)/UNIVERSITY OF DELHI**  
**लोदी रोड नई दिल्ली/LODI ROAD NEW DELHI-110003**

Date: 17.02.2025

**NOTICE**

**संदर्भ: परिसर में विरोध प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर सख्त प्रतिबंध।**

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के आदेश संख्या PCTO/2026/ दिनांक 17.02.2026 के अनुसार, सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित गतिविधियाँ 17.02.2026 से एक माह के लिए सख्ती से प्रतिबंधित हैं।

**प्रतिबंधित गतिविधियाँ**

1. सार्वजनिक सभाएँ, जुलूस, प्रदर्शन, विरोध
2. पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा
3. रैलियाँ, धरने, आंदोलन
4. नारे लगाना, भाषण देना
5. खतरनाक सामग्री (मशाल/बीकन/टॉर्च) ले जाना

**नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है**

- उल्लंघनों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस
- उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
- उल्लंघन करने वाले छात्रों को निष्कासन/निलंबन की सजा दी जाएगी.

सभी को परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।



(प्रो. विनोद कुमार पालीवाल)  
(Prof. V. K. Paliwal)  
प्राचार्य/Principal

प्रतिलिपि भेजें:

1. शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच प्रसारित
2. छात्रों का सूचना बोर्ड
3. कॉलेज की वेबसाइट

**दयाल सिंह कॉलेज**  
**DYAL SINGH COLLEGE**  
(दिल्ली विश्वविद्यालय)/UNIVERSITY OF DELHI  
लोदी रोड नई दिल्ली/LODI ROAD NEW DELHI-110003

Date: 17.02.2025

**NOTICE**

**Ref: Strict Prohibition on protests, Processions & Public Meeting in Campus.**

All Students, faculty members and non-teaching staff are hereby informed the vide order of Proctor, University of Delhi reference no. PCTO/2026/ dated 17.02.2026, the following activities are strictly prohibited for one month w.e.f 17.02.2026

**PROHOBITED ACTIVITIES**

1. Public meetings, processions, demonstration, protests
2. Assembly of five or more persons
3. Rallies, dharnas, agitations
4. Shouting slogans, making speeches
5. Carrying hazardous materials (Mashals/Beacons/Torches)

**STRICT COMPLIANCE MANDATORY**

- Zero tolerance for violations
- Serve disciplinary acation against offenders
- \*\* rustication/suspension\*\* for student violators

All are directed to maintain **law and order** on campus. Any violation will viewed **seriously**.



(प्रो. विनोद कुमार पालीवाल)

(Prof. V. K. Paliwal)

प्राचार्य/Principal

Copy to:

1. Curculation amongst the teaching and non- teaching staff
2. Students Notice Board
3. College webstie